मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011
फोन नं. 0755–2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755–2550498
ई–मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के लिए पात्रता परीक्षा–2011

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम

ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि		27 सितम्बर, 2011
ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि		27 अक्टूबर, 2011
परीक्षा दिनांक व दिन		18 दिसम्बर, 2011
परीक्षा शुल्क	अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए :–	रु. 300/–
	अनु.जाति व अनु.जनजाति के लिए :–	रु. 150/–
ऑनलाईन आवेदन–पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रू. 50/– देय होगा।		

समय सारणी

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियॉ भरने का समय	प्रश्न–पत्र वितरण समय	प्रश्न–पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
रविवार	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 से 10:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:10 बजे	प्रातः 10:10 से 10:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 10:15 से 12:45 बजे तक (2:30 घंटे)

टिप्पणी :–

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
2. परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा कक्ष में सेलुलर, मोबाईल फोन, केल्कूलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।

मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा
मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत
संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के लिए पात्रता परीक्षा–2011

विषय सूची

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्रं.
1.	अध्याय–1 – मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के लिए पात्रता परीक्षा–2011 के लिए विभागीय नियम	03 – 07
2.	अध्याय–2 – मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश	08 – 11
	प्रारूप–1 – प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन	12
3.	अध्याय–3 – विस्तृत पाठ्यक्रम	13 – 17

अध्याय–1
संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 पात्रता परीक्षा–2011 संबंधी नियम

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रं./एफ–1–32/2011/20–1, दिनांक 29.07.2011 तथा मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 एवं मध्यप्रदेश नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 (अद्यतन संशोधन दिनांक 22 एवं 27 जून 2011) के नियम 6 के अनुसार पात्रता परीक्षा निम्न शर्तों के अधीन आयोजित होगीः–

1. पदों का विवरण :

पदों का विवरण
संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3

2. पदों की संख्या :

पदों का विवरण	पदों की संख्या (लगभग)
संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3	58000

पदों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।

3. पदों का संविदा मानदेय :

पदों का विवरण	मासिक संविदा पारिश्रमिक
संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3	रू. 5000 रूपये

4. आवेदन पत्र/निर्देश पुस्तिका :

ऑनलाईन आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया व परीक्षा संचालन नियम के लिए नियमपुस्तिका का अध्याय–2 देखें।

5. परीक्षा केन्द्र :

पात्रता परीक्षा 50 जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। आवश्यकता होने पर उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर जिला मुख्यालयों से भिन्न स्थानों पर भी परीक्षा केन्द्र निर्धारित किए जा सकेंगे जिसकी जानकारी पात्रता परीक्षा के प्रवेश पत्र पर अंकित की जाएगी।

6. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता :

संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के लिए शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता निम्नलिखित अनुसार होगी :–

''कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण पत्र परीक्षा (या उसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा).

या

''कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण पत्र परीक्षा (या उसके समकक्ष) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा).

या

''कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण पत्र परीक्षा (या उसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र (बी.एल.एड़) में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि.

या

''कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण पत्र परीक्षा (या उसके समकक्ष) तथा शिक्षा शास्त्र(विशेष शिक्षा) में 2 वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा).''.

(2) उपरोक्त क्रमांक (1) अनुसार पर्याप्त संख्या में शिक्षण प्रशिक्षण योग्यताधारी व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के खण्ड 23 (2) अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करने के उपरांत राज्य सरकार के निर्देश पर स्थानीय निकाय अप्रशिक्षत व्यक्तियों को संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्त करेगी।

7. पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हकारी प्राप्तांक :

(1) संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिये न्यूनतम अंकों का प्रतिशत श्रेणीवार एवं प्रवर्गवार निम्नलिखित अनुसार होगा :-

संविदा शाला शिक्षक श्रेणी	अनु0जा0 / अनु0ज0जा0 / पिछडा वर्ग / निःशक्तजन	अन्य
श्रेणी-3	50%	60%

पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अर्ह अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को पात्रता प्रमाण-पत्र दिया जाएगा जिसमें पात्रता परीक्षा प्रश्नपत्र के प्रत्येक भाग के प्राप्तांकों का दशमलव के दो अंकों तक उल्लेख किया जाएगा।

(2) पात्रता परीक्षा के परिणाम की संवर्गवार, विषयवार एवं आरक्षणवार मेरिट सूची तैयार की जायेगी, जिसमें शिक्षण प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यार्थियों की सूची मेरिट के क्रम में ऊपर दर्शित होगी, इसके ठीक नीचे मेरिट के क्रम में उन अभ्यार्थियों की सूची होगी, जिनके द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता धारित नहीं की है।

(3) प्रवर्गवार योग्यता सूची में अंक बराबर होने की दशा में मेरिट सूची में प्राथमिकता पात्रता अधिक आयु वाले अभ्यार्थी को दी जायेगी।

8. निर्धारित आयु सीमा :

संविदा शाला शिक्षक का वर्गीकरण	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
श्रेणी-3	18 वर्ष	35 वर्ष

आयु सीमा में छूट बिन्दु क्रमांक 10 के अर्हताओं में उल्लेखित अनुबंधों के अनुसार होगी।

9. आयु गणना किस तिथि से मान्य की जाएगी :

न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना पात्रता परीक्षा के आयोजन एवं पात्रता परीक्षा परिणाम घोषणा के उपरान्त रिक्त पदों के विज्ञापित होने के कैलेण्डर वर्ष के 1 जनवरी के संदर्भ में की जाएगी।

10. आवेदक के लिए अर्हताएं :

1 वे ही अभ्यर्थी संविदा शाला शिक्षक के रूप में नियोजन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ऑनलाईन आवेदन दे सकेंगें जिन्होने संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा में नियम - 6 के उप नियम (5) के अनुसार न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त किये हो,

2 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों या किन्हीं अन्य वर्गों के लिये उच्चतर आयु सीमा में छूट, सरकार के ऐसे नियमों के अनुसार होगी जो नियोजन के समय प्रवृत हो,

3 महिला अभ्यर्थी के लिये अन्य छूट के अतिरिक्त उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट रहेगी,

4 सरकारी स्कूलों के लिए नियुक्त किए गए मानसेवी शिक्षकों तथा व्यावसायिक शिक्षा के अंशकालिक शिक्षक को 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में पन्द्रह वर्ष की छूट दी जाएगी।

परन्तु व्यावसायिक शिक्षा के ऐसे अंशकालीन शिक्षक जिन्होने अंशकालीन शिक्षक के रूप में कार्य किया है एवं उनका कार्य असंतोष जनक पाये जाने के आधार पर उनकी नियुक्ति समाप्त की गई हो उन्हें यह छूट प्राप्त नहीं होगी।

5 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने संविदा शाला शिक्षक के रूप में कार्य किया है और जो संविदा शाला शिक्षक के नियोजन के लिए नए सिरे से आवेदन करेंगे, वे उच्चतम आयु में उतनी कालावधि की छूट के हकदार होगें जितनी कालावधि के लिए उनके द्वारा पूर्व में संविदा शाला शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो. इस आधार पर यह छूट अधिकतम नौ वर्ष के लिए होगी बशर्ते उनकी संविदा उनके कार्य को असंतोषजनक पाये जाने पर समाप्त नहीं कर दी गई हो,

6 दैनिक वेतनभोगी कर्मकारों को, जो या तो कार्यरत हों अथवा जिनकी राज्य सरकार द्वारा छटनी की गई हो, उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के बराबर उच्चतर आयु सीमा में इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, कि अभ्यर्थी ने 40 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

7 विधवा अथवा तलाकशुदा अभ्यार्थी को अधिकतम आयु सीमा में, अन्य छूट के अतिरिक्त पांच वर्ष की छूट रहेगी।

8 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें अतिथि शिक्षक के रूप में सरकारी स्कूल में न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्र तक कार्य किया है, वे उच्चतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट के हकदार होगें।

9 संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन के लिए नियम 2005 के अनुसूची—दो के कॉलम (7) की अभ्युक्तियों में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हताएं संविदा शाला शिक्षकों के अन्य तत्स्थानी पदों के लिए भी स्वीकार्य होंगी,

11. आवेदक के लिए निरर्हताएं :

निरर्हताएं — कोई भी व्यक्ति संविदा शाला शिक्षक के लिए नियोजन हेतु हकदार नहीं होगा, —

1 यदि वह भारत का नागरिक अथवा नेपाल या भूटान की प्रजा नहीं हो,

2 यदि उसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला या जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसाइटी या केन्द्र या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सेवा से अवचार के कारण बर्खास्त किया गया है,

3 यदि उसे नैतिक अधमता के अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है,

4 यदि उसे महिलाओं के विरूद्ध अपराध के लिए सिद्धदोष ठहाराया गया है,

परन्तु जहां ऐसा मामला अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में लंबित हो, तो उसकी नियुक्ति का मामला, आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा .

5 यदि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नी है, और स्त्री अभ्यर्थी की दशा में, यदि उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पूर्व से एक जीवित पत्नी है,

6 यदि उसे किसी दांडिक अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है एवं दंडित किया गया है,

परन्तु यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार सिद्धदोष ठहराया गया है किन्तु उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है तथा किसी प्रकार के दण्ड से दण्डादिष्ट नहीं किया गया है, तो ऐसी दोषसिद्धि को ध्यान में नहीं लिया जाएगा,

7 यदि वह केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी उपक्रम या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किसी निकाय का कर्मचारी हो तो जब तक उसने अपने नियोजनकर्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो और उसे अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया हो ,या

8 ऐसे अभ्यर्थी जिनके दो से अधिक जीवित बच्चे हों और यदि उनमें से एक का जन्म 26/1/2001 को या उसके पश्चात हुआ हो.

12. आरक्षण :

संविदा शाला शिक्षकों के पदों का जिलेवार आरक्षण जिले के निर्धारित रोस्टर के अनुक्रम में जिला कलेक्टर/नियुक्तिकर्ता अधिकारी स्तर पर किया जाएगा।

आरक्षण से संबंधित स्पष्टीकरणः—

(1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994)के उपबंध, संविदा शाला शिक्षक के नियोजन पर लागू होंगे.

(2) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उसकी अधिसूचना क्रमांक—एफ—6—1/2002/आ0प्र0/एक, दिनांक 19 सितम्बर, 2002 द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998 और राज्य शासन द्वारा, समय —समय पर जारी किए गए आदेश के अनुसरण में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो के अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित किए जाएंगे.

(3) रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिये निम्नानुसार आरक्षण रहेगा :—

 (1) महिलाओं के लिये 50% ;

 (2) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का सं. 1) की धारा 33 के परन्तुक के अध्यधीन रहते हुए निःशक्त व्यक्तियों के लिये 6% यथा दृष्टि बाधित के लिये 2%, एवं अस्थि जन्य निःशक्त के लिये 4%; (निःशक्तजनों के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 380/1773/05/आ.प्र./एक दिनांक 24.03.06 के अनुसार होगा)

 (3) भूतपूर्व सैनिकों के लिये 10% ;

 (4) अन्य किसी ऐसे प्रवर्ग के लिये जो सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

13. पिछडी आदिम जन जातियों के लिए विशेष उपबन्धः—

जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी ,गुना तथा अशोक नगर के सहारिया जनजाति, जिला बालाघाट, मण्डला, डिंडोरी, शहडोल, तथा उमरिया के बैगा जनजाति एवं जिला छिंदवाडा में तामिया विकासखण्ड के भारिया जनजाति का आवेदक विनिर्दिष्ट/विहित की गई न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं तथा अन्य पात्रता रखता है, तो उसे इन नियमों में उल्लिखित चयन प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना संबंधित पंचायत द्वारा संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 1/श्रेणी 2/श्रेणी 3 के पद पर नियोजित किया जाएगा. ये अभ्यर्थी राज्य की किसी भी जिला/जनपद पंचायत में इस उपबंध की प्रसुविधा अभिप्राप्त करने के लिए समर्थ होंगे. ऐसी स्थिति में जब प्राप्त किये गये आवेदनों की संख्या उपलब्ध कुल पदों से अधिक हो तो चयन, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर अवरोही क्रम में किया जाएगा।

14. यात्रा व्यय का भुगतान :

पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अ.जा./अ.ज.जा./निःशक्तजन/पिछड़ा वर्ग एवं किसी वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उनके द्वारा की गई यात्रा के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा।

15. अन्य बिन्दु :

1. किसी भी प्रकार का वाद उद्भूत होने पर न्याय क्षेत्र मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर होगा।
2. वर्ष 2005—06 तथा वर्ष 2008 की पात्रता परीक्षा में सम्मिलित एवं इसमें पात्रता प्राप्त अभ्यर्थी यदि नए सिरे से संविदा शाला शिक्षक की नियुक्ति हेतु इच्छुक है तो उन्हें वर्ष 2011 में आयोजित की जाने वाली पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। पात्रता परीक्षा 2011 के पूर्व पात्रता प्रमाण—पत्र धारित अभ्यर्थियों के प्रमाण—पत्रों की वैधता इस परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत वैध नहीं होगें।

   संविदा शाला शिक्षकों को तीन वर्ष की संविदा नियुक्ति काल सफलता पूर्वक पूर्ण करने के उपरांत अध्यापक संवर्ग में म.प्र. पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्ते) नियम, 2008 तथा म.प्र. नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्ते) नियम, 2008 के नियम—5 (2) के अनुसार अध्यापक संवर्ग के नियमित वेतनमान में नियुक्त किए जाने की पात्रता नियम में दिये गये प्रावधान के अनुसार प्राप्त होगी।

संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 पात्रता परीक्षा 2011 हेतु
परीक्षा योजना

परीक्षा योजना (Scheme of Exam)

1. पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्नपत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2:30 घंटे होगी।
2. प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा।
3. पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (MCQ - Multiple Choice Questions) प्रकार के होंगे, जिनके चार विकल्प होंगे और एक विकल्प सही होगा।
4. परीक्षा की संरचना एवं विषयवस्तु (Structure and Content) निम्नानुसार होगी–

भाग	विषयवस्तु (सभी अनिवार्य)	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक
(i)	बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र (Child Development & Pedagogy)	30 MCQ	30 Marks
(ii)	भाषा–1 (Language-I)	30 MCQ	30 Marks
(iii)	भाषा–2 (Language-II)	30 MCQ	30 Marks
(iv)	गणित (Mathematics)	30 MCQ	30 Marks
(v)	पर्यावरण अध्ययन (Environmental Study)	30 MCQ	30 Marks
	कुल	150 MCQ	150 Marks

5. प्रश्नों की प्रकृति एवं स्तर (Nature and Standard of Questions) निम्नानुसार होगा–
   (i) बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र के प्रश्न 6–11 वर्ष आयु समूह के शिक्षण एवं सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगे, जो विशिष्टताओं की समझ, आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों का मनोविज्ञान, शिक्षार्थी के साथ संवाद और सिखाने हेतु अच्छे फेसिलिटेटर की विशेषताएं एवं गुणों पर आधारित होंगे।
   (ii) भाषा–1 के प्रश्न आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम में प्रवाहिता (Proficiency) पर आधारित होंगे।
   (iii) भाषा–2, भाषा–1 से पृथक होगी। आवेदक आवेदन पत्र में हिन्दी, अंग्रेजी व उर्दू में से कोई भी भाषा चुन सकेंगे और आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के प्रश्न ही हल कर सकेंगे। भाषा–2 के प्रश्न भाषा के तत्व, संप्रेषण और समझने की क्षमताओं पर आधारित होंगे।
   (iv) गणित एवं विज्ञान, तथा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न विषय की अवधारणा, समस्या समाधान और पेडागाजी की समझ पर आधारित होंगे। गणित एवं विज्ञान में से प्रत्येक के 30 प्रश्न होंगे।
6. प्रश्नपत्र में प्रश्न म.प्र. राज्य के कक्षा–1 से 5 के प्रचलित पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तकों के टॉपिक्स पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर एवं सम्बद्धता हाईस्कूल स्तर तक की हो सकती है।
7. उक्त का विस्तृत पाठ्यक्रम अध्याय–3 में दिया गया है।

अध्याय – 2

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश

महत्वपूर्ण :–

2.1 इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें आवेदक को भाषा विकल्प के साथ यह भी दर्शाना होगा कि उसने शैक्षणिक अर्हता के अंतर्गत दिए गए शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त किया है अथवा नहीं। आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में दी गई जानकारी अनुसार ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

2.2 ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग/निकाय द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जायेगा। अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त किया जा सकेगा।

2.3 ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ कोई भी प्रमाण–पत्र/दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है, किन्तु नियुक्ति के पूर्व समस्त प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित विभाग/निकाय के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी दृष्टिगोचर होने पर अभ्यर्थिता निरस्त समझी जायेगी।

2.4 स्क्रुटनी/ऑनलाईन आवेदन–पत्र का निरस्तीकरण :–

ऑनलाईन पद्धति से निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन–पत्रों की स्क्रुटनी निम्न बिन्दुओं पर की जायेगी :–

क्रं.	विवरण
1.	अभ्यर्थी का फोटो
2.	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
3.	श्रेणी
4.	संवर्ग
5.	लिंग
6.	मूल निवासी
7.	जन्मतिथि
8.	भाषा विकल्प
9.	शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी

उपरोक्त स.क्रं. 02 से 09 तक की जानकारी के रिक्त, गलत या अपूर्ण होने की स्थिति में आवेदन–पत्र त्रुटिपूर्ण मानते हुए नीचे उल्लेखित रेक्टिफिकेशन प्रक्रिया के माध्यम से त्रुटि का निराकरण करना होगा। विशेषकर स.क्रं. 01 जिसमें अभ्यर्थी के आवेदन के साथ अभ्यर्थी का फोटो प्राप्त नहीं होता है, उसका आवेदन–पत्र अमान्य कर दिया जायेगा तथा किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किया जायेगा।

2.5 निरस्त होने के कारणों की सूचनाः–

(1) मंडल कार्यालय द्वारा त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण आवेदन पत्र से संबंधित जानकारी मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड कर कर दी जायेगी। उक्त त्रुटि सुधार हेतु परीक्षा पूर्व तक एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत क्योस्क के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित त्रुटि सुधार शुल्क रूपये 100/– एवं एम.पी. ऑनलाईन प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 50/– वेबसाईट www.vyapam.nic.in या www.mponline.gov.in पर जमा कर ऑनलाईन टेस्ट एडमिट कार्ड प्राप्त किया जा सकता है, जो परीक्षा केन्द्र पर मान्य होगा।

(2) नियमानुसार निरस्त किये गये आवेदन–पत्रों की जानकारी, निरस्तीकरण के कारण सहित मंडल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध करा दी जावेगी। इस कार्यालय द्वारा इस संबंध में पृथक से सूचित नहीं किया जावेगा।

2.6 परीक्षा प्रवेश–पत्र (Test Admit Card) :-

मण्डल कार्यालय में नियमानुसार मान्य आवेदन–पत्र के अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र (Test Admit Card-TAC) जारी किए जायेंगे। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा प्रवेश–पत्र प्रेषित नहीं किए जायेंगे। समस्त प्रवेश–पत्र मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड कर दिए जायेंगे तथा अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक का प्रयोग करते हुए प्रवेश–पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके आधार पर अभ्यर्थी सीधे परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। डाउनलोड किए हुए प्रवेश–पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

नोट– प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाइन आवेदन–पत्र को रद्द/निरस्त /परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.7 परीक्षा शहर, परीक्षा समय व परीक्षा शुल्क :–

लिखित परीक्षा का आयोजन मध्यप्रदेश समस्त जिला मुख्यालयों तथा आवश्यकतानुसार अन्य स्थानों पर प्रातः 10:00 से 12:45 बजे तक आयोजित की जायेगी। इस परीक्षा में अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग के लिए रू. 300/– तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए रू. 150/– परीक्षा शुल्क निर्धारित है।

2.8 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :–

प्रवेश–पत्र, काला बॉलप्वाइंट पेन।

2.9 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात् Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales आदि पूर्णतः वर्जित है।

2.10 परीक्षा के प्रश्न–पत्र :–

परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 150 प्रश्नों व ढाई घंटे की अवधि का एक प्रश्न–पत्र होगा, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।

2.11 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :–

अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) :– निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :–

(क) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।
(ख) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
(ग) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
(घ) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
(ड.) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।
(च) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला–बदली करना।
(छ) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।

(ज) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
(झ) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
(ञ) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
(ट) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।

उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौपा जायेगा और उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एंव उसके स्थान पर परीक्षा में बैठनें वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा ।

विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

2.12 मूल्यांकन पद्धति :–

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2.13 त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :–

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :–

1. प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
2. प्रश्न की संरचना गलत हो।
3. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
4. कोई भी विकल्प सही न हो।
5. यदि प्रश्न–पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न–भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
6. कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
7. अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।
   प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न–पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

   उदाहरण स्वरूप यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की

गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 200}{(200-2)} = 90.91 \text{ rounded off to } 91.00$$

नोट :– सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

2.14 प्रश्नपुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :–

प्रश्न–पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रोफार्मा प्रारूप –1 में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।

बिन्दु क्रमांक 2.13 अनुसार मण्डल द्वारा प्रश्न–पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ–साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम ''की'' (आदर्श उत्तर) तैयार की जायेगी । आदर्श उत्तरों के संबंध में मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

2.15 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :–

अध्याय–1 से 2 में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के नोटिस बोर्ड तथा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होगा। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ–साथ विषयवार आदर्श उत्तर (Subject wise Model Answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

2.16 अंक सूची :

परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत सभी अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड कर दी जायेगी। अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर अंकसूची प्राप्त कर सकते हैं। डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2.17 म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल का कार्य प्रवेश परीक्षा का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :–

परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा। अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

2.18 न्यायिक क्षेत्राधिकार :–

परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

–––0–––

प्रारूप–1
(देखें नियम 2.14)

प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन

प्रमाणित करता/करती हूं कि मैं संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–2 पात्रता परीक्षा–2011 में अनुक्रमांक .... से परीक्षा केन्द्र.. से सम्मिलित हुआ/हुई हूँ । मेरे द्वारा प्रश्न–पुस्तिका कोड .... के सेट क्रमांक................... हल किया गया है । इस प्रश्न–पत्र के निम्नलिखित प्रश्न उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण हैं:–

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर..................................
आवेदक का नाम......................................
परीक्षा का नाम...
अनुक्रमांक...
परीक्षा केन्द्र का नाम................................

स्थान ....
दिनांक ....

(नोट– यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जा सकेगा)

अध्याय–3

विस्तृत पाठ्यक्रम

बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र (Child Development & Pedagogy)	30 प्रश्न

(अ) बाल विकास — 15 प्रश्न

- बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध ।
- विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक ।
- बाल विकास के सिद्धांत।
- बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं।
- वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव।
- समाजीकरण प्रक्रियाएंः सामाजिक जगत एवं बच्चे (शिक्षक, अभिभावक, साथी)
- पियाजे, पावलव, कोहलर और थार्नडाइकः रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप।
- बाल केन्द्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा ।
- बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि।
- व्यक्तित्व और उसका मापन।
- भाषा और विचार।
- सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर, जेंडर की भूमिका, लिंगभेद और शैक्षिक प्रथाएं।
- अधिगम कर्त्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि की विषमताओं पर आधारित भिन्नताओं की समझ।
- अधिगम के लिए आंकलन और अधिगम का आंकलन में अंतर, शाला आधारित आंकलन, सतत एवं समग्र मूल्यांकनः स्वरूप और प्रथाएं (मान्यताएं)
- अधिगमकर्त्ताओं की तैयारी के स्तर के आंकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, कक्षाकक्ष में अधिगम को बढ़ाने आलोचनात्मक चिंतन तथा अधिगम कर्त्ता की उपलब्धि के आंकलन के लिए।

(ब) समावेशित शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ — 5 प्रश्न

- अलाभान्वित, एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्त्ताओं की पहचान ।
- अधिगम कठिनाइयों, 'क्षति' आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान।
- प्रतिभावान, सृजनात्मक, विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्त्ताओं की पहचान।
- समस्याग्रस्त बालकः पहचान एवं निदानात्मक पक्ष।
- बाल अपराधः कारण एवं प्रकार

(स) अधिगम और शिक्षा शास्त्र (पेडागाजी) — 10 प्रश्न

- बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं।
- शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, बच्चों के अधिगम की रणनीतियॉ, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, अधिगम का सामाजिक संदर्भ।
- समस्या समाधानकर्त्ता और वैज्ञानिक– अन्वेषक के रूप में बच्चा ।
- बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं, बच्चों की त्रृटियों को अधिगम प्रक्रिया में सार्थक कड़ी के रूप में समझना। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकः अवधान और रूचि।
- संज्ञान और संवेग

- अभिप्रेरणा और अधिगम
- अधिगम में योगदान देने वाले कारक– व्यक्तिगत और पर्यावरणीय
- निर्देशन एवं परामर्श
- अभिक्षमता और उसका मापन
- स्मृति और विस्मृति

हिन्दी भाषा (Hindi Language)	30 प्रश्न

(अ) भाषायी समझ/अवबोध – 15 प्रश्न

भाषायी समझ/ अवबोध के लिए दो अपठित दिए जाएँ जिसमें एक गद्यांश (नाटक/ एकांकी/ घटना/ निबंध/ कहानी/ आदि से) तथा दूसरा अपठित पद्य के रूप में हो, इस अपठित में से समझ/अवबोध, व्याख्या, व्याकरण एवं मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जाएँ। गद्यांश साहित्यक/वैज्ञानिक/सामाजिक समरसता/तात्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं।

(ब) भाषायी विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र – 15 प्रश्न

- भाषा सीखना और ग्रहणशीलता
- भाषा शिक्षण के सिद्धान्त
- भाषा शिक्षण में सुनने, बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं
- मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति अन्तर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका
- भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियॉ, कठिनाइयॉ, त्रुटियॉ एवं क्रमबद्धता
- भाषा के चारों कौशल (सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना) का मूल्यांकन
- कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, दूरसंचार (दृश्य एवं श्रव्य) सामग्री, बहुकक्षा स्रोत
- पुनः शिक्षण

अंग्रेजी भाषा (English Language)	30 प्रश्न

a. Compréhension 15 Questions

Two unseen prose passages (discursive or literary or narrative or scientific) with questions on comprehension, grammar and verbal ability.

b. Pedagogy of language development 15 questions

- Learning and acquisition of language.
- Principles of second language teaching
- Language skills-listening, speaking, reading, writing
- Role of listening and speaking, function of language and how children use it as a tool
- The role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in written form
- Challenges of teaching language in a diverse classroom, language difficulties
- Teaching learning materials, text book, multi-media materials multi-lingual resource of the classroom
- Evaluating language comprehension and proficiency : listening, speaking, reading and writing
- Remedial teaching (Re- teaching)

उर्दू भाषा (Urdu Language)	30 प्रश्न

1.जामे सलाहियत पर मबनी सवालात	15 सवालात

- दो गेर दरसी इक़्तिबासात (मालूतामी/अदबी/बयानिया/साइंसी
- सलाहियत पर मबनी सवालात, कवायद, और ज़बानी सलाहियत पर मबनी सवालात।

2. ज़बान के नशवोनुमा और तदरीसी तरीके	15 सवालात

- सीखना और यादरखना।
- ज़बान की तदरीस के असूल।
- ज़बान में सुनने और बोलने की एहमियत, ज़बान का काम और बच्चों के जरिए जबान की महारतों का इस्तेमाल।
- ज़बान सीखने और ख़्यालात का ज़बानी और तहरीरी इज़हार करने में कवायद (ग्रामर) के रोल का तनक़ीदी जायज़ा।
- क्लास रूम में मुख्तलिफ तालीमी इस्तेदाद वाले बच्चों की ज़बान की मुशकिलात, गल्तियों और वेतरतीबियों के चलेंज को कुबूल करते हुए ज़बान पढ़ाना।
- ज़बान की महारतें।
- ज़बान की सलाहियत और ज़बान पर उबूरके तजज़िए के लिए बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना।
- तालीमी इम्दादी अशिया (ज्स्ड) दरसी कुतुब और मल्टी मीडिया मेटीरियल, क्लास रूम में मुहैया मुख्तलिफ ज़बानों का मवाद।
- तदारकी तदरीस ।

निसाबी मोज़ूआत

- असनाफे नस्र – कहानी, मालूमाती मज़ामीन, ड्रामा, मकालमा
- असनाफे नज़्म – नज़्म, गीत
- ग्रामर – इस्म, ज़मीर, फ़ेअल, सिफ़त, मेय क़िस्में जिंस, ज़माना, जुम्ले व मुहावरे, वाहिदजमा, मुज़क्कर, मोअन्नस, तज़ाद, नज्म गीत वगेरह की तारीफ
- ख़तूत और दरख़्वास्त नवीसी
- गेर दरसी इक्तिबास
- मज़मून नवीसी

गणित (Mathematics)	30 प्रश्न

(अ) विषयवस्तु (Content)	15 प्रश्न

- संख्या पद्धति– एक करोड़ तक की संख्याएँ, दस लाख तक की संख्याओं का विस्तारित रूप व स्थानीय मान
- जोड़ना व घटाना –पाँच अंको तक की संख्याओं का जोड़ना व घटाना
- गुणा– तीन अंको की संख्या से किसी संख्या में गुणा
- भाग– दो अंको वाली संख्या से चार अंको वाली संख्या में भाग देना
- भिन्न– भिन्न की अवधारणा, सरलतम रूप, समभिन्न, विषम भिन्न आदि भिन्नों का जोड़ना घटाना गुणा व भाग
- वजन
- धारिता
- समय– समय की गणना पूर्वाह्न व अपराह्न के बीच करना
- मुद्रा
- पैटर्न– संख्याओं से संबंधित पैटर्न को समझ आगे बढ़ाना, पैटर्न तैयार कर उसका संक्रियाओं के आधार पर सामान्यीकरण

- ज्यामिति– मूल ज्यामितीय अवधारणाएँ, किरण, रेखाखण्ड, कोण (कोणों का वर्गीकरण) त्रिभुज, (त्रिभुजों का वर्गीकरण– (I) भुजाओं के आधार पर ;प्प्द्ध कोणों के आधार पर) त्रिभुज के तीनो कोणो का योग 180^0 होता है।
- वृत, त्रिज्या व व्यास में परस्पर संबंध सममित आकृति, परिवेश आधार पर समानान्तर रेखा व लम्बवत् रेखा की समझ।

(ब)	Pedagogical issues	15 प्रश्न

- गणित शिक्षण द्वारा चिन्तन एवं तर्कशक्ति का विकास करना।
- पाठ्यक्रम में गणित का स्थान
- गणित की भाषा
- प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण एवं उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना
- मूल्यांकन की नवीन विधियाँ, निदानात्मक परीक्षण व पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास करना
- गणित शिक्षण की नवीन विधियों का कक्षा शिक्षण में उपयोग करने की क्षमता

पर्यावरण अध्ययन (Environmental Study)	30 प्रश्न

(अ) विषयवस्तु (Content)	20 प्रश्न

1. हमारा परिवार, हमारे मित्र–
   - परिवार और समाज से सहसंबंध– परिवार के बढ़े–बूढ़े, बीमार, किशोर, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल।
   - हमारे पशु, पक्षी– हमारे पालतू पशु–पक्षी, माल वाहक पशु, हमारे आस–पास के परिवेश में जीव–जन्तु।
   - हमारे पेड़–पौधे– स्थानीय पेड़–पौधे, पेड़–पौधो एवं मनुष्यों की अन्तःनिर्भरता, वनों की सुरक्षा और उनकी आवश्यकता और महत्व।
   - हमारे प्राकृतिक संसाधन– प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, उनका संरक्षण, ऊर्जा के पारंपरिक और नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत स्त्रोत।
2. खेल एवं कार्य
   - खेल, व्यायाम और योगासन।
   - पारिवारिक उत्सव, विभिन्न मनोरंजन के साधन–किताबें, कहानियाँ, कठपुतली प्ले, मेला आदि।
   - विभिन्न काम धंधे, उद्योग और व्यवसाय।
3. आवास
   - पशु, पक्षी और मनुष्य के विभिन्न आवास, आवास की आवश्यकता और स्वस्थ जीवन के लिए आवास की विशेषताएँ।
   - स्थानीय इमारतों की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय धरोहर और उनकी देखभाल।
   - उत्तम आवास और उसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री।
   - शौचालय की स्वच्छता, परिवेश की साफ–सफाई और अच्छी आदतें।
4. हमारा भोजन
   - भोजन की आवश्यकता, भोजन के घटक।
   - फल एवं सब्जियों का महत्व, पौधों के अंगो के अनुसार फल, सब्जियाँ।
   - भोज्य पदार्थो का स्वास्थ्य वर्धक संयोजन।
   - विभिन्न प्रकार के भोजन और उन्हें पकाने की विधियाँ।
   - उत्तम स्वास्थ्य हेतु भोजन की स्वच्छता और सुरक्षा के उपाय।

5. पानी और हवा
- जीवन के लिए पानी और हवा की आवश्यकता।
- स्थानीय मौसम, जल चक्र और जलवायु परिवर्तन।
- पानी के स्त्रोत, उसके सुरक्षित रखरखाव और संरक्षण के तरीके।
- संक्रमित वायु एवं पानी से होने वाले रोग, उनका उपचार और बचाव, अन्य संक्रामक रोग।
- हवा, पानी, भूमि का प्रदूषण और उससे सुरक्षा, विभिन्न अपशिष्ट पदार्थो और उनका प्रबंधन, उचित निस्तारण।
- भूकंप, बाढ़, सूखा आदि आपदाओं से सुरक्षा और बचाव के उपाय।

6. आवागमन और यातायात
- आवागमन के साधन, थल, जल, वायु संबंधी साधन और उनका महत्व।
- संचार की प्राचीन एवं नवीनतम आधुनिक सुविधाएँ।
- सुरक्षित यातायात और संकेतों का महत्व।
- प्रमुख राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्ग, वायुमार्ग।
- जलयान और वायुयान तैयार करने के राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय स्थल आदि।

7. प्राकृतिक वस्तुएँ और उपज
- सूती, ऊनी, रेशमी कपड़ा निर्माण के रेशे और उनका उत्पादन।
- मिट्टी, पानी, बीज और फसल का संबंध, जैविक–रासायनिक खाद।
- विभिन्न फसलें, उनके उत्पादक क्षेत्र।
- फसल उत्पादन के लिए आवश्यक कृषि कार्य और उपकरण।

8. मानव निर्मित साधन एवं उसके क्रियाकलापों का प्रभाव
- वनों की कटाई और शहरीकरण, पारिस्थितिक संतुलन पर प्रभाव।
- ओजोन क्षय, अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव आदि।
- आपदा प्रबंधन।

9. पर्यावरण पास एवं दूर
- सजीव–निर्जीव, समानताएँ, असमानताएँ।
- शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अंग, उनकी रचना और कार्य।
- अपने गाँव, शहर की जिले में स्थिति, राज्य और देश, पंचायत और शासन।
- पर्वत, पठार, नदियों की जानकारी और उनका भौगोलिक महत्व।
- पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तारों का संबंध, दिन–रात का होना, ऋतुओं का बनना आदि।

(ब)	पेडागॉजिकल मुद्दे	10 प्रश्न

- पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और उसकी आवश्यता।
- पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समेकित पर्यावरणीय शिक्षा।
- पर्यावरणीय शिक्षा के सूत्र एवं दायित्व।
- पर्यावरणीय शिक्षा का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से सहसंबंध।
- अवधारणाओं के स्पष्टीकरण हेतु प्रविधियाँ और गतिविधियाँ।
- परिवेशीय भ्रमण, प्रयोगात्मक कार्य, प्रोजेक्ट कार्य और उनका महत्व।
- चर्चा, परिचर्चा, प्रस्तुतीकरण और समूह शिक्षण व्यवस्था से सीखना।
- सतत–व्यापक मूल्यांकन – शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछना, मुखर और लिखित अभिव्यक्ति के अवसर देना, वर्कशीट्स एवं एनेक्डॉटल रिकार्ड का प्रयोग, बच्चें की पोर्टफोलियो का विकास करना, केस स्टडी और व्यक्तिगत प्रोफाईल से शिक्षण व्यवस्थाएँ।
- पर्यावरणीय शिक्षा में शिक्षण सामग्री/सहायक सामग्री और उसका अनुप्रयोग।
- स्थानीय परिवेश की पर्यावरणीय समस्याएँ और उनके समाधान खोजने की क्षमता का विकास।

––––0–––––